रजिस्ट्री सं० डी० एल० 33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

सत्यमेव जयते

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 217] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 19, 2005/वैशाख 29, 1927
No. 217] NEW DELHI, THURSDAY, MAY 19, 2005/VAISAKHA 29, 1927

## वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 मई, 2005

**सं. 48/2005-सीमा शुल्क**

**सा.का.नि. 326(अ).**—अभिहित प्राधिकारी, यू०के०, जर्मनी, बुलगेरिया और ब्राजील (जिसे आगे संबद्ध देश कहा गया है) में मूलत: उद्गमित या वहां से निर्यातित, सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची के उपशीर्ष 5501.30 या 5503.30 के अंतर्गत आने वाले, एक्रीलिक फाइबर के आयात के मामले में, अपने अंतिम निष्कर्ष अधिसूचना सं० 42/1/2001-डीजीएडी, तारीख 27 अगस्त, 2002 जो कि भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग I, खंड 1, तारीख 27 अगस्त, 2002 में प्रकाशित हुई, इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि,—

(क) संबद्ध देशों में मूलत: उद्गमित या वहां से निर्यात किये गए संबद्ध माल भारत को निर्यात उसके सामान्य मूल्य से कम पर किया गया है;

(ख) घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है;

(ग) यह तात्विक क्षति, संबद्ध देशों से हुए पाटित आयातों के कारण हुई है।

और अभिहित प्राधिकारी के पूर्वोक्त निष्कर्षों के आधार पर केन्द्रीय सरकार ने, सा.का.नि. 690(अ), तारीख 9 अक्तूबर, 2002 के अधीन भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i), तारीख 9 अक्तूबर, 2002 में प्रकाशित, भारत सरकार के तदेन वित्त एवं कंपनी कार्य मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं० 104/2002-सीमा शुल्क, तारीख 9 अक्तूबर, 2002 द्वारा निश्चयात्मक प्रतिपाटन शुल्क अधिरोपित किया था;

और अभिहित प्राधिकारी ने भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग I, खंड 1, तारीख 8 अप्रैल, 2005 में प्रकाशित मध्यवधि समीक्षा अधिसूचना सं० 15/18/2004-डीजीएडी, तारीख 7 अप्रैल, 2005 के आधार पर इस निर्णय पर पहुंचे हैं कि—

(क) जर्मनी और बुलगेरिया से एक्रीलिक फाइबर का निर्यात भारत को इसके सामान्य मूल्य से कम कीमत पर किया गया है; तथापि, यू०के० से निर्यात सामान्य मूल्य से कम कीमत पर नहीं हुए थे और इस प्रकार उनको पाटित नहीं किया जा रहा था। ब्राजील से पाटन होने की कोई संभावना नहीं है;

(ख) जर्मनी और बुलगेरिया से पाटन के परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति नहीं हुई है;

(ग) यदि यू०के०, जर्मनी, ब्राजील और बुलगेरिया से होने वाले आयातों पर लगाए गए शुल्क को हटाया जाता है तो क्षति के पुन: होने की कोई संभावना नहीं है।

और संबद्ध देशों में मूलत: उद्गमित या वहां से निर्यात किये गए संबद्ध माल के सभी आयातों पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्कों को समाप्त किए जाने की सिफारिश की है;

अत:, अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उपधारा (5) के साथ पठित उपधारा (1) और सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उस पर प्रतिपाटित शुल्क का निर्धारण और संग्रहण तथा क्षति का अवधारण) नियम, 1995 के नियम 23 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के वित्त एवं कम्पनी कार्य मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं० 104/2002-सीमाशुल्क, तारीख 9 अक्तूबर, 2002 को जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में सा०का०नि० 690 (अ) तारीख 9 अक्तूबर, 2002 को प्रकाशित की गई थी, उसके विखण्डन से पूर्व की गई या किए जाने से लोप की गई बातों की बाबत के सिवाय, विखण्डित करती है।

[फा. सं. 354/223/2001-टीआरयू]

वि. शिवसुब्रमणियन, उप-सचिव

**MINISTRY OF FINANCE**

**(Department of Revenue)**

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 19th May, 2005

**No. 48/2005-Customs**

**G.S.R. 326(E).**—Whereas in the matter of import of Acrylic Fibre (hereinafter referred to as the subject goods), falling under sub-heading 5501.30 or 5503.30 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), originating in, or exported from, UK, Germany, Bulgaria and Brazil (hereinafter referred to as subject countries), the designated authority *vide* its final findings notification No. 42/1/2001-DGAD dated the 27th August, 2002, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, dated the 27th August, 2002, has come to the conclusion that—

(a) the subject goods have been exported to India from subject countries below its normal value;

(b) the Indian industry has suffered injury;

(c) the injury has been caused by the dumped imports from subject countries;

And whereas on the basis of aforesaid final findings or the designated authority, the Central Government had imposed anti-dumping duty *vide* notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Finance and Company Affairs (Department of Revenue) No. 104/2002-Customs, dated the 9th October, 2002, published *vide* G.S.R. 690 (E), dated the 9th October, 2002 in Part II, Section 3, Sub-section (i) of the Gazette of india, Extraordinary, dated the 9th October, 2002;

And whereas the designated authority, *vide* its mid-term review findings notification No. 15/18/2004-DGAD dated 7th April, 2005, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, dated the 8th April 2005, has come to the conclusion that—

(a) Acrylic fibre has been exported to India from Germany and Bulgaria below its normal value; however, the exports from U.K. were not below the normal value and were thus not being dumped. There was no evidence of dumping from Brazil. There is no likelihood of recurrence of dumping from Brazil and U.K;

(b) the domestic industry has not suffered material as a result of dumping from Germany and Bulgaria;

(c) there is no likelihood of recurrence of injury in case the anti dumping duty imposed on import from subject countries is withdrawn;

and has recommended withdrawal of anti dumping duty on imports of acrylic fibre originating in or exported from the subject countries;

Now therefore, in exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (5) of Section 9A of the said Customs Tariff Act, and rule 23 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Antidumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury ) Rules, 1995, the Central Government, hereby rescinds the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Finance and Company Affairs (Department of Revenue), No. 104/2002-Customs, dated the 9th October, 2002, published *vide* G.S.R. 690(E), dated the 9th October, 2002 in Part II, Section 3, Sub-section (i) of the Gazette of India, Extraordinary, dated the 9th October, 2002, except as respects things done or omitted to be done before such rescission.

[F. No. 354/223/2001-TRU]

V. SIVASUBRAMANIAN, Dy. Secy.

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 मई, 2005

**सं. 49/2005-सीमाशुल्क**

**सा.का.नि. 327 (अ).**—अभिहित प्राधिकारी, इटली (जिसे आगे संबद्ध देश कहा गया है) में मूलत: उदगमित या वहां से निर्यातित, सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची के उपशीर्ष 5501.30 या 5503.30 के अंतर्गत आने वाले, 1.5 डेनियर (1.65 डी एक्स) से कम के एक्रीलिक फाइबर के आयात के मामले में, अपने अंतिम निष्कर्ष अधिसूचना सं० 43/1/2001-डीजीएडी, तारीख 12 अगस्त, 2002 जो कि भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग I, खंड 1, तारीख 13 अगस्त, 2002 में प्रकाशित हुई, इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि,—

(क) संबद्ध देश से निर्यात किये गए संबद्ध माल भारत को निर्यात उसके सामान्य मूल्य से कम पर किया गया है;

(ख) घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है;

(ग) यह तात्विक क्षति, संबद्ध देश से हुए पाटित आयातों के कारण हुई है।

और अभिहित प्राधिकारी के पूर्वोक्त निष्कर्षों के आधार पर केन्द्रीय सरकार ने, सा०का०नि० 639 (अ), तारीख 12 सितम्बर, 2002 के अधीन भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i), तारीख 12 सितम्बर, 2002 में प्रकाशित, भारत सरकार के तदेन वित्त एवं कंपनी कार्य मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं० 95/2002-सीमाशुल्क, तारीख 12 सितम्बर, 2002 द्वारा निश्चयात्मक प्रतिपाटन शुल्क अधिरोपित किया था;

और अभिहित प्राधिकारी भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग I, खंड 1, तारीख 20 अप्रैल, 2005 में प्रकाशित मध्यवधि समीक्षा अधिसूचना सं० 15/17/2004-डीजीएडी, तारीख 19 अप्रैल, 2005 के आधार पर इस निर्णय पर पहुंचे हैं कि—

(क) संबद्ध देश से संबद्ध माल का निर्यात इसके सामान्य मूल्य से कम कीमत पर किया गया है;

(ख) संबद्ध माल के आयातों से घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति नहीं पहुंची है;

(ग) यदि संबद्ध देश से संबद्ध माल के आयातों पर मौजूदा पाटनरोधी शुल्क को वापस लिया जाता है तो घरेलू उद्योग को पुन: क्षति होने की संभावना नहीं है;

और संबद्ध देशों में मूलत: उदगमित या वहां से निर्यात किये गए, संबद्ध माल के सभी आयातों पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्कों को समाप्त किए जाने की सिफारिश की है;

अत: अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उपधारा (5) के साथ पठित उपधारा (1) और सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उस पर प्रतिपाटित शुल्क का निर्धारण और संग्रहण तथा क्षति का अवधारण) नियम, 1995 के नियम 23 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के वित्त एवं कम्पनी कार्य मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं० 95/2002-सीमाशुल्क, तारीख 12 सितम्बर, 2002 को जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में सा०का०नि० 639 (अ) तारीख 12 सितम्बर, 2002 को प्रकाशित की गई थी, उसके विखण्डन से पूर्व की गई या किए जाने से लोप की गई बातों की बाबत के सिवाय, विखण्डित करती है।

[फा. सं. 354/219/2001-टी.आर.यू.]

वि० शिवसुब्रमणियन, उप सचिव

## NOTIFICATION

New Delhi, the 19th May, 2005

**No. 49/2005-Customs**

**G.S.R. 327(E).**—Whereas in the matter of import of Acrylic Fibre below 1.5 denier (1.65 DX) (hereinafter referred to as the subject goods), falling under sub-heading 5501.30 or 5503.30 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), originating in, or exported from, Italy, (hereinafter referred to as subject country), the designated authority *vide* its final findings notification No. 43/1/2001-DGAD dated the 12th August, 2002, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, dated the 13th August, 2002, has come to the conclusion that—

(a) the subject goods have been exported to India from subject country below its normal value;

(b) the Indian industry has suffered injury;

(c) the injury has been caused by the dumped imports from subject country;

And whereas on the basis of aforesaid final findings of the designated authority, the Central Government had imposed anti-dumping duty *vide* notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Finance and Company Affairs (Department of Revenue) No. 95/2002-Customs, dated the 12th September, 2002, published in Part II, Section 3, Sub-section (i) of the Gazette of India, Extraordinary, dated the 12th September, 2002 vide G.S.R. 639 (E), dated the 12th September, 2002;

And whereas the designated authority, *vide* its mid-term review findings notification No. 15/17/2004-DGAD dated 19th April, 2005, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, dated the 20th April 2005. has come to the conclusion that—

(a) subject goods have been exported to India from subject country below its normal value;

(b) the domestic industry has not suffered material injury as a result of dumping of subject goods from subject country;

(c) there is no likelihood of recurrence of injury in case the anti-dumping duty imposed on import dumping of subject goods from subject country is withdrawn;

and has recommended withdrawal of anti-dumping duty on imports of subject goods originating in or exported from the subject country;

Now therefore, in exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (5) of Section 9A of the said Customs Tariff Act, and rule 23 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury ) Rules, 1995, the Central Government, hereby rescinds the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Finance and Company Affairs (Department of Revenue), No. 95/2002-Customs, dated the12th September 2002, published in Part II, Section 3, Sub-section (i) of the Gazette of India, Extraordinary, dated the 12th September, 2002 *vide* G.S.R. 639(E), dated the 12th September, 2002 except as respects things done or omitted to be done before such rescission.

[F. No. 354/219/2001-TRU]

V. SIVASUBRAMANIAN, Dy. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.